

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 1/0305/2025-ACAD-DHE 1/1/474892/2025 दिनांक 02-09-2025

// संशोधित पत्र //

प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.
2. प्राचार्य, समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय म.प्र.

विषय- ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 अनुसार प्रवेश निरस्तीकरण, विषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन, महाविद्यालय स्थानांतरण, त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1/0305/2025-ACAD-DHE 1/456597/2025 दिनांक 25.8.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं कार्यालय वृद्धा जारी संदर्भित पत्र में आंशिक संशोधन करते हुये उल्लेखनीय है कि प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2025-26 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निरस्तीकरण पश्चात शुल्क वापसी, विषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन, प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया तथा प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन दिनांक 08 सितम्बर 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक तक किये जा सकेंगे। उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के नवीन प्रवेश मान्य नहीं होंगे।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.

- 1-निज सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा म.प्र.
- 2-निज सहायक, अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
- 3- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
- 4- प्रवेश एजेंसी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 5-विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.

